न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 76/2011

मंजु देवी वनाम राज्य एवं ममता देवी

आदेश

29.7.15

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील अपीलार्थी श्रीमति मंजू देवी, पति– राजेश कुमार झा, ग्राम– बारा, थाना– बिहरा, जिला– सहरसा द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या– 9641/2005 में दिनांक– 28.06.11 को मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दाखिल किया गया है।

सी०डब्लू०जे०सी० 9641/2005 में दिनांक– 28.06.2011 को मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नवत है:–

" The District Magistrate will also ensure the notices to both sides, fix the date and decide the case at the eariest from the date on receiving the copy of this order. After hearing both the parties, the District Magistrate will decide the representation/ memo of appeal of the petitioner on merits in accordance with law.

अपीलार्थी का कथन है आंगनवाड़ी केन्द्र मुसहरी टोला क्षेत्र का निवासी है और उक्त पोषक झेत्र की बहू है तथा उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र के सेविका सहायिका के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसमें आवेदिका मंजू देवी सेविका पद पर चयन हेतु आवेदन दी और चयन हेतु आम सभा की तिथि– 1.1.2004 निश्चित की गयी।

आवेदिका का यह भी कथन है कि एम0ए0 समक्ष आचार्य परीक्षा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उर्त्तीण है और उसी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदिका सेविका पद पर चयन हेतु आवेदन दी थी साथ ही आवेदिका मंजू देवी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाली तथा निःसहाय महिला है। आम सभा में भी सर्व सम्मति से आवेदिका को हीं सबसे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाली पाकर सेविका पद पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में मुखिया, सी0डी0पी0ओ0. द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली ममता देवी का चयन कर दिया गया और आवेदिका के संबंध में लिखा गया कि शैक्षणिक योग्यता के अलावे कोई कागजात दाखिल नहीं किया। आवेदिका द्वारा शिकायत आवेदन देकर आवेदिका के अलावे पोषक क्षेत्र के 88 आदमियों का हस्ताक्षर एवं निशान लिप्त है, लेकिन उक्त आवेदन पर विचार नहीं होने के कारण लाचार होकर आवेदिका ने मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में उक्त वाद दायर की जिसका निष्पादन दिनांक– 28.06.2011 को किया गया तथा आवेदिका ने दिनांक– 08.

08.2011 को आवेदन तथा दिनांक– 28.11.2011 को पूरक आवेदन अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में आवेदन दाखिल की है। यह मामला वर्ष 2004 का है जिस समय मार्गदर्शिक के रूप में बिहार सरकार के कल्याण विभाग द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु ज्ञापांक 1129 दिनांक– 13.06.1998 के कंडिका–1 में अधिकतम शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार को प्राथमिकता दिये जाने की बात कही गयी है तथा कंडिका–8 के "घ" में उम्मीदवारों के लिखित आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण स्वरूप उनसे उर्त्तीण परीक्षा का प्रमाण पत्र तथा प्रवेशिका अनुर्त्तीण उम्मीदवार से विद्यालय द्वारा निर्गत प्राप्तांक अवलोकन कर जॉच कर निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार उक्त निर्देशिका के अनुसार शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के अलावे अन्य किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी लेकिन जानबुझ कर आवेदिका के आवेदन पत्र को इस कारण विचार नहीं किया गया। क्योंकि आवेदिका द्वारा शैक्षणिक योग्यता के अलावे अन्य कागजात दाखिल नहीं की गयी थी, जबकि उक्त समय अन्य कागजात दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार आवेदिका का कहना है कि उनके शैक्षणिक योग्यता को नजर अंदाज कर तत्कालीन मुखिया एवं सी0डी0पी0ओ0. के मिली भगत से आवेदिका को सेविका पद पर चयन से बंचित किया गया और अनुचित ढंग से ममता देवी को निम्न अर्हता शैक्षणिक योग्यता रखने वाली का चयन नाजायज ढंग से कर लिया गया है।

प्रतिपक्षी ममता कुमारी का कहना है कि प्रस्तुत वाद उत्तरवादी बिल्कुल हीं कानूनी रूप से सही नहीं है और न हीं कोई रिलीफ पाने के हीं हकदार हैं। ऑगनवाड़ी केन्द्र संख्या– 42 ग्राम पंचायत बारा का गठन 2004 में हुआ एवं इसके लिए आम सभा विधि पूर्वक ग्राम पंचायत के तत्कालीन मुखिया श्री गणेश चौधरी के द्वारा दिनांक– 11.11.2004 को बुलाया गया एवं विधि सम्मत आम सभा की कार्यवाही आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका का चयन हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रतिभागी अभ्यर्थी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा (सहरसा) एवं आंगनवाड़ी पोषक क्षेत्र के लाभुक सदस्य की उपस्थिति में किया गया। तदुपरान्त आंगनवाड़ी नियमावली 1998 के अनुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सहरसा के हस्ताक्षर से कुमारी ममता झा को को चयनित कर नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया तथा तीस दिन का प्रशिक्षण प्राप्त कर नियमित कार्य सम्पादन करती आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी मंजू देवी ने आम सभा के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करायी परन्तु मेधा सूची हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण मंजू देवी का चयन आम सभा से नहीं हुआ। अपीलार्थी ने आगे कहा कि मंजू देवी ने चयनित उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी आवेदन और न हीं अपील दायर जिला पदाधिकारी के समक्ष दाखिल की बल्कि मान्नीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0

संख्या– 9641/2005 में एनेक्सर एक से लेकर छः के साथ आवेदन दाखिल की थी, जिसमें भी एनेक्सर एक से छः तक में कोई भी अंक पत्र मंजू देवी के नाम से दाखिल नहीं है और न हीं वर्णित वाद में कहीं भी चर्चा है कि प्रतिवादी ममता देवी जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा नहीं सुना गया। ऐसा कोई भी आवेदन मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। इस तरह कोई आवेदन मंजू देवी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका चयन के खिलाफ जिला पदाधिकारी के यहां लम्बित नहीं था तो वैसी स्थिति में वादी मंजू देवी का प्रार्थना मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना एवं जिला पदाधिकारी के यहॉ न्यायालय को भ्रम में रखने के समान है। इसलिए इनका अपील पोषणीय नहीं है।

प्रतिवादी ने आगे कहा है कि मंजू देवी के द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष एनेक्सर–4 को पब्लिक पीटीशन के रूप में दिखाया गया है वह पीटीशन जिला पदाधिकारी के नाम नामित है, परन्तु श्रीमान् के कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया है जो आवेदन के देखने से हीं पता चलता हैं। मूल आवेदन में मंजू देवी, पति– राजेश कुमार झा के हस्ताक्षर के अलावे दूसरे नम्बर पर किसी ग्रामीणों का हस्ताक्षर उक्त आवेदन पर नहीं है बल्कि आवेदन में वर्णित कण्डिका में इस बात का उल्लेख नहीं है कि एनेक्सर–4 आम ग्रामीणों द्वारा दिया गया है बल्कि एनेक्सर के साथ 88 व्यक्तियों का हस्ताक्षर वो निशान अलग पृष्ट पर संलग्न है और दूसरी ग्रामीणों के हस्ताक्षर या निशान का कोई भी प्रसंग के रूप में मूल आवेदन में चर्चा नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि वास्ते दाखिल करने मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में यह आवेदन मंजू देवी अपीलार्थी के द्वारा तैयार किया गया ओर किसी अन्य कार्य की पूर्ति हेतु ग्रामीणें के द्वारा हस्ताक्षर व निशान को इस एनेक्सर के साथ संलग्न कर दिया गया है। आगे यह भी प्रतिवादी द्वारा कहा गया है कि आवेदन में संलग्न हस्ताक्षर व निशान एक हीं व्यक्ति के द्वारा जाली तैयार किया गया है, जिसकी जॉच तथाकथित 88 हस्ताक्षर वो निशान ग्रामीणों का कहा जाता है उसे बुलाकर जॉच कर लिया जाय। प्रतिपक्षी के अनुसार दिनांक– 08.08.2011 को दाखिल आवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दाखिल नहीं है और दिनांक– 28.11.2011 को अधिवकता के माध्यम से पूरक आवेदन के रूप में दाखिल किया गया है दोनों ही आवेदन पर मंजू देवी अपीलार्थी का हस्ताक्षर नहीं है, जो कानून के नजर में स्थापित कानून के खिलाफ है बल्कि प्रथम दृष्टया खारीज के काबिल है। ।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त केन्द्र पर दिनांक– 11.11.2004 को की गई आम सभा में चयनित सेविका के विरूद्ध अपीलार्थी मंजू देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में दिनांक– 08.08.2011 को दाखिल वाद पर निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। अपीलार्थी मंजू देवी ने अपने आवेदन पत्र के साथ दिनांक– 11.11.2004 को हुई आम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति उपलब्ध कराई है। इस बैठक में श्रीमति ममता देवी का सेविका के रूप में चयन किया गया है। आम सभा पंजी में अंकित कार्यवाही का अवलोकन किया गया। इस कार्यवाही में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि इस आंगनवाड़ी केन्द्र के लाभार्थियों में बाहुल्य किस वर्ग का है। कल्याण विभागीय पत्रांक 2ए–30/95(खंड) 1129 दिनांक– 13.06.1998 में यह प्रावधान किया गया है कि आंगनवाड़ी सेविका उसी वर्ग की होनी चाहिए, जिसका इस आंगनवाड़ी केन्द्र के लाभान्वितों में बाहुल्य हैं। बिना इसका निर्धारण किए ऑगनवाड़ी सेविका का चयन वैध नहीं माना जायेगा। अतः चयन रद्ध किया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त केन्द्र पर विभागीय प्रावधान के आलोक में नये सिरे से आम सभा आयोजित कर ऑगनवाड़ी सेविका का चयन करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

28.7.2015

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1928-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 31 जुलाई, 2015 ई. ।

प्रतिलिपि– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
31.7.15